की स्थापना की गई है। इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :—

(क) संविधान के अन्तर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करना ।

(ख) महिलाओं की स्थितियों में सुधार लाने के लिए इन सुरक्षा उपायों के कारगर कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट/सिफारिशें भेजना ।

(ग) संविधान के और महिलाओं को प्रभावित करने वाली अन्य विधियों के विद्यमान उपबन्धों का पुनर्वलोकन करना और उपचारी उपायों का सुझाव देना ।

(घ) संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के अतिक्रमण के मामले उठाना ।

(ङ) महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने, नियमों का कार्यान्वयन न किए जाने, नीति विषयक विनिश्चयों का अनुपालन न किए जाने इत्यादि से संबंधित शिकायतों की जांच करना और ऐसे मामलों पर स्वप्रेषणा से ध्यान देना।

(च) विशेष अध्ययन, संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान आयोजित करना और आयोजना प्रक्रिया में भाग लेना और परामर्श देना, इत्यादि ।

प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करने और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने पर स्वप्रेरणा से ध्यान देते समय, आयोग को किसी मुकदमों की सुनवाई करने वाले एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् किसी भी व्यक्ति को बुलाने और न्यायालय में उपस्थिति होने के लिए बाध्य करना, किसी भी दस्तावेज की खोज निकालने और पेश करने की मांग करना, शपथपत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई सरकारी रिकर्ड अथवा उसकी प्रति की मांग करना, इत्यादि ।

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, आयोग के कार्यकरण के लिए सरकार धनराशि प्रदान करती है और वर्ष 1993-94 के लिए 1.25 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

Private sector participation in job-oriented education in Madhya Pradesh

1120. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any proposals to involve private sector participation in the scheme of job-oriented education specially for backward and tribal areas for handicapped persons in the country, particularly in Madhya Pradesh;

(b) if so, what are the details thereof and outcome of the proposals; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (c) The Centrally Sponsored Scheme of Vocationalisation of Secondary Education involves the private sector in implementation of vocational courses in privately managed schools; development of curricula; selection of need-based vocational courses ;provision of on-the-job training facilities and through assistance to non-government organisations for non-formal programmes.

The State Governments/Union Territory Administrations are free to select suitable schools for introduction of Vocational Courses for all areas/categories of persons.